न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2020 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. हकजी पिता रंगा जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. बदिया पिता रंगा जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. थावरचन्द पिता रंगा जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती चतुरी बेवा रंगा जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. बसूलाल पिता राव जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. शंकरलाल पिता राव जी, जाति भील, निवासी रामेला, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी आनन्दपुरी
दिनांक 20.06.2016, प्र.सं. 16/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री एम0 के0 गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 04—04—2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से आराजी नंबर 128 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर, आराजी नंबर 131 रकबा 0.16 हैक्टर, आराजी नंबर 133 रकबा 0.47 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर, आराजी [illegible] से 0.20 हैक्टर, कुल किता 4 में से रकबा [illegible] हैक्टर भूमि दिनांक [illegible]01—2010 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त [illegible] तब से वादीगण काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

करते चले आ रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि बैंक में मोर्गेज होने से वादीगण के नाम नामान्तरकरण नहीं हो सका, जबकि कब्जा कय दिनांक से वादीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश करते हैं तथा कब्जा हटाने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 20–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–02–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से एम. के. गांधी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना कोई सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 10–02–2020 को हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाबदावे हेतु नियत था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तामिल किये एवं बिना जवाबदावा लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजियात अपीलान्टगण के स्वामित्व एवं खातेदारी की है। अपीलान्टगण द्वारा आज तक कब्जा रेस्पोन्डेन्टगण को सुपुर्द नहीं किया गया है, [illegible] रहा है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान [illegible] दिया [illegible] तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय [illegible] जारी कर दी [illegible] जो त्रुटि पूर्ण होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21–01–2010 अनुसार विवादित आराजी नंबर 128 रकबा 0.35 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर, आराजी नंबर 131 रकबा 0.16 हैक्टर, आराजी नंबर 133 रकबा 0.47 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर, आराजी नंबर 686 रकबा 0.27 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर, कुल किता 4 में से रकबा 0.59 हैक्टर भूमि का विकय अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 20–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

हकजी पिता रंगा जी, जाति भील, निवासी रामेला, तह0 आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा व अन्य — बनाम — बसूलाल पिता राव जी, जाति भील, निवासी रामेला, तह0 आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....2 / 2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....आनन्दपुरी ..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह.....06.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04....माह.....04.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री एम. के. गांधी .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2016 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04....माह.....04.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:26 IST
Reason: SelfAttested